भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1178

दिनांक 9 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीईएम पोर्टल पर ऑटोमोटिव और ट्रैक्टर पर छूट

1178. **डॉ. जयंत कुमार राय :**
श्री राज अमरेश्वर नाईक :
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) :
श्री विनोद कुमार सोनकर :
श्री भोला सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऑटोमोटिव और ट्रैक्टर निर्माताओं के लिए जीईएम पोर्टल पर अनिवार्य छूट खंड लागू किया है;
(ख) यदि हां, तो क्या ये छूट ट्रैक्टरों पर 20 प्रतिशत, उपयोगिता वाहनों पर 12 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों पर 15 प्रतिशत की सीमा तक है, जबकि डीजीएसएंडडी की व्यवस्था के अनुसार अनिवार्य छूट केवल 5 प्रतिशत थी;
(ग) यदि हां, तो इतनी बड़ी छूट किस आधार (किए गए अध्ययन, समिति की सिफारिशें आदि) पर निर्धारित की गई है;
(घ) क्या उच्च छूट के कारण जीईएम पोर्टल पर कई नवीनतम मॉडल उपलब्ध नहीं हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को नवीनतम वाहन प्राप्त करने से रोक रहे हैं;
(ड.) यदि हां, तो क्या इन उत्पादों पर भारी छूट भारतीय कंपनियों की जीईएम पोर्टल पर अपने आधुनिक/उन्नत उत्पादों की पेशकश करने की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर रही है; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू निर्माताओं के लिए इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के संबंध में जीईएम पोर्टल पर ऑटोमोबाइल संबंधी अनिवार्य छूट व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (ख) और (ग): जी नहीं। सरकार ने जीईएम पोर्टल पर ऑटोमोटिव और ट्रैक्टर विनिर्माताओं के लिए कोई न्यूनतम छूट तय नहीं की है। जीईएम, ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं (ओइम) सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श/बातचीत के आधार पर छूट के संबंध में निर्णय लेता है।

जीईएम पोर्टल में ट्रैक्टरों और ऑटोमोटिव की चुनिंदा श्रेणियों के लिए न्यूनतम छूट नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

क्र.सं.	वाहन श्रेणी	न्यूनतम छूट (प्रतिशत)
1	ट्रैक्टर	20 %

2	एम्बुलेंस	12%
3	बसें	20%
4	इंजन के साथ लगे ऑटोमोटिव चेसिस	15%
5	बिल्ट-अप ट्रक	15%
6	ट्रूप कैरियर पुलिस वाहन	15%
7	पानी टंकी के साथ वाटर ट्रक केबिन	15%
8	कारें	12%
9	उपयोगिता वाहन	12%
10	टू व्हीलर- मोटर साइकिल और स्कूटर और मोपेड	12%

डीजीएसएंडडी में ऑटोमोटिव और ट्रैक्टर के विनिर्माताओं के लिए कोई अनिवार्य छूट खंड नहीं था।

(घ): वर्तमान में, नवीनतम मॉडल सहित बड़ी संख्या में वाहन मॉडल जीईएम पर उपलब्ध हैं जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

उप श्रेणी	मेक	मॉडल
ट्रैक्टर	15	267
उपयोगिता वाहन	10	99
एम्बुलेंस	14	80
कारें	3	36
बसें	6	120
इंजन के साथ लगे ऑटोमोटिव चेसिस	6	115
बिल्ट-अप ट्रक	11	111
टू व्हीलर-मोटर साइकिल और स्कूटर और मोपेड	6	95
पानी टंकी के साथ वाटर ट्रक केबिन ट्रक	8	22
ट्रूप कैरियर पुलिस वाहन	4	6

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त वाहन श्रेणियां सर्वाधिक लोकप्रिय और उच्च सकल व्यापारिक मूल्य श्रेणियां के हैं जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिए गए संव्यवहार मूल्य से देखा जा सकता है।

उप श्रेणी	संव्यवहार मूल्य (करोड़ में)
उपयोगिता वाहन	4916.60
एम्बुलेंस - आर	1482.21
बसें	1129.57
कारें	920.66
ट्रूप कैरियर पुलिस वाहन	655.80
टू व्हीलर-मोटर साइकिल और स्कूटर और मोपेड	624.73
बिल्ट अप ट्रक	614.22
इंजन के साथ लगे ऑटोमोटिव चेसिस	500.37
ट्रैक्टर	306.56
पानी टंकी के साथ वाटर ट्रक केबिन ट्रक	119.80

(ड): ऐसे किसी प्रसंग की सूचना अभी तक नहीं मिली है।

(च): जीईएम, खरीदारों, ऑटोमोबाइल के विनिर्माताओं सहित विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित परामर्श कर रहा है और परामर्श के दौरान उठाए गए किसी भी मुद्दे की जांच और समाधान जीईएम द्वारा किया जाता है।

****